	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 05, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 26, 2022 *Pausa 05 Monday , Saka 1944- December 26, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2022

जी.एस.आर.44 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2022 दिनांक 15-06-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीश माथूर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त(जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 15, 2022

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

11.	(क) सुरक्षा व्यवस्था	1. राजस्थान पुलिस विभाग 2. राजस्थान होम गार्ड विभाग 3. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 4. नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक	दरें तत्संबंधी प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।
	(ख) तकनीकी सेवाएं	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक	
	(ग) गैर-तकनीकी सेवाएं	1. राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक 2. नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक	

"

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2022]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.